फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्री शंकर पिता रामलाल जाट निवासी पीली का खेड़ा तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
बनाम
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा
किस्म मुकदमा 212 प्रार्थनापत्र नं0 79 सन् 2020

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उपस्थित वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई कि ग्राम लेसवा पटवार हलका लेसवा के आ0नं0 618 व 619 कुल किता 2 रकबा 1.9096 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के काका गंगना मुतबन्ना हजारी जाट को आवंटन होकर राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी से दर्ज है। जहाँ सिपुर्दगी दी गई वहाँ प्रार्थी के काका तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थी काविज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। प्रार्थी एक मात्र वारिस होने से उक्त आराजियात को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करा स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित कराना चाहता है परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं कर उसे बेदखल करने पर आमादा है। अतः विपक्षीगणों को पावंद करावें कि प्रार्थी को उनके कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें तथा रेकार्ड व मौक की यथास्थिति बनाये रखें।

मैंने प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है। यदि प्रार्थी को उनके कब्जे काश्त से बेदखल किया जाता है तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम लेसवा पटवार हलका लेसवा के आ0नं0 618 व 619 कुल किता 2 रकबा 1.9096 हैक्टयर भूमि पर रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने बावत् विपक्षी के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.01.2021 तक जारी की जाती है । रास्तों पर लागु नहीं । आदेश 39 नियम 3 की पालना हो। हुकम इन्तलाई चंद रोजा पेश करने पर जारी करें। पत्रावली दिनांक 29.01.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी का सम्मन तामिल होकर प्राप्त नहीं हुआ। अप्रार्थी के सम्मन [illegible] वास्ते पत्रावली मे अप्रार्थी के सम्मन [illegible] हेतु नियत दिनांक 19.2.[illegible] दिनांक तक जारी अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जाती है।

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किये जाने से पत्रावली सिगाह से तलब की गई। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:56:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्र मे बताया गया कि प्रार्थी अब उक्त प्रकरण मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहता है उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रोप फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थना पत्र पर मनन किया। न्यायहित मे वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण मे वकील प्रार्थी आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वादपत्र के साथ संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.06.16 12:56:04 IST
Reason: SelfAttested